छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 07/2018/परीक्षा/दिनांक 01/10/2018 **प्रकाशन की तिथि: 10/10/2018**

:: विज्ञापन ::

राज्य सेवा परीक्षा – 2018

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 17/02/2019, पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तथा अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक

मुख्य परीक्षा की तिथि 21, 22, 23, 24 जून 2019

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 07/12/2018 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 05/01/2019 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. **राज्य सेवा परीक्षा 2018** हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. **राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018** के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **07/12/2018** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **05/01/2019** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **08/01/2019** मध्यान्ह 12:00 बजे से **14/01/2019** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं/विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014** के प्रावधान लागू होंगे।

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम–2008 कहा जायेगा) के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **17/02/2019** को आयोजित की जाने वाली **"प्रारंभिक परीक्षा"** के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 के **परिशिष्ट–एक** में परीक्षा योजना, **परिशिष्ट–दो** में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं **परिशिष्ट–चार** में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। **मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित परीक्षा योजना (परिशिष्ट–एक) एवं पाठ्यक्रम (परिशिष्ट–तीन) बाद में प्रकाशित किए जायेंगे।** ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम–2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

क्रमशः

(3) सेवाओं / पदों का विवरण:–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**राज्य सिविल सेवा** उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	₹ 56100 (स्तर–12)
2	**राज्य पुलिस सेवा** उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	₹ 56100 (स्तर–12)
3	**छ०ग० राज्य वित्त सेवा** लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	₹ 56100 (स्तर–12)
	बैकलॉग	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	**अधीक्षक जिला जेल** गृह (जेल) विभाग	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	₹ 56100 (स्तर–12)
5	**जिला सेनानी, नगर सेना** गृह विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	₹ 56100 (स्तर–12)
6	**वाणिज्यिक कर अधिकारी** वाणिज्यिक कर विभाग	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (BL, OA, OL, OAL)	7	₹ 56100 (स्तर–12)
7	**सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें** सहकारिता विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	₹ 56100 (स्तर–12)
	बैकलॉग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (LV, OL, BL, OA, HH, B)	1	
8	**छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा** वित्त एवं योजना विभाग	7	2	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, BL, HH)	17	₹ 38100 (स्तर–9)
	बैकलॉग	-	3	14	4	-	-	-	-	-	-	1	-	04 (OA, OL, BL, HH)	25	
9	**वाणिज्यिक कर निरीक्षक** वाणिज्यिक कर विभाग	17	5	12	6	5	1	3	1	1	-	1	-	-	40	₹ 28700 (स्तर–7)
10	**आबकारी उप निरीक्षक** वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	9	3	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	22	₹ 28700 (स्तर–7)
11	**उप पंजीयक** वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	₹ 28700 (स्तर–7)
	बैकलॉग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, OAL, BL, HH)	1	
12	**सहायक जेल अधीक्षक** गृह (जेल) विभाग	5	2	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	₹ 25300 (स्तर–6)
														कुल योग :–	**160**	

Abbreviations used:- OA - One Arm, **OL-** One Leg, **BL-** Both Leg, **HH-** Hearing Handicapped, **B-**Blind, **OAL-** One Arm & One Leg, **LV** - Low Vision

टीपः–

(i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के भर्ती नियम एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

(iv) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणित (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरूद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा।

(v) **विज्ञापन की पैरा – 3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद् पश्चात् समय–समय पर शासन से प्राप्त सूचना / जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में** विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम–2008 के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं / पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए **पृथक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे।**

(vi) **प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।**

(vii) **अत्यंत महत्वपूर्ण :–**

अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक तथा केन्द्र आदि को एक बार त्रुटि सुधार के बाद किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे

क्रमशः

आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्रवर्ग के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।

(viii) **उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।**

(4) (i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।

(iii) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल/स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करें।

(iv) जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ विचारित किये जाएंगे।

(v) **ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।**

(5) (A) <u>प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र</u> :–

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अंबिकापुर (सरगुजा)
02	बैंकुण्ठपुर (कोरिया)
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग–भिलाई
06	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
07	जगदलपुर (बस्तर)
08	जांजगीर–चांपा
09	जशपुर
10	कबीरधाम (कवर्धा)
11	कांकेर (उत्तर बस्तर)
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव

(B) <u>मुख्य परीक्षा के केन्द्र</u> :–

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अम्बिकापुर (सरगुजा)
02	बिलासपुर
03	दुर्ग–भिलाई
04	जगदलपुर (बस्तर)
05	रायपुर

टीपः– (i) आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाएगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) **आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।**

(6) <u>मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन</u> :–

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(7) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u> :–

अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।**

टीपः– (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने **ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।**

(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(8) <u>आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि</u> :–

अभ्यर्थियों के **राज्य सेवा परीक्षा 2018** के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना **<u>दिनांक 01.01.2018</u>** के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :–

(8.1) **राज्य आरक्षी सेवा के <u>उप पुलिस अधीक्षक</u> के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा :–**

(A) **<u>आयु सीमा</u>** – छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका–4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार **उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।**

(B) **<u>आयु सीमा में छूटें</u>** :–

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ii) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

क्रमशः

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से **तीन वर्ष** से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vii) विधवा–परित्यक्ता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(C) <u>उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड</u> :–

(i) **ऊँचाई** – 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ii) **सीना** – बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से **निःशक्त नहीं** होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।

(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।

(8.2) **<u>उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है</u> :–**

(A) <u>आयु सीमा</u>–छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी:–

(i) **अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो,** परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर **दिनांक 15.06.2010** में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए **अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है,** किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, **दिनांक 23.01.2017** में दिए गए निर्देश के अनुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी,**

(ii) उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के (अधिकारी/कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी।

(iii) अन्य विशेष वर्ग जैसे–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु **उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। **परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(v) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(B) <u>आयु सीमा में छूटें</u> :–

(i) **राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) के नियम–5 (ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (अठारह) तक की छूटें अभ्यर्थी को दी जायेगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iii) **अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम–9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है।**

शारीरिक मापदण्ड:–

स. क्र.	पद का नाम	ऊंचाई		सीना (केवल पुरुष)		
		पुरुष	महिला	बिना फुलाए	फुलाने पर	न्यूनतम अंतर
1	2	3	4	5	6	7
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	155 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला सेनानी	165 से.मी.	–	84 से.मी.	89 से.मी.	–
3	अधीक्षक जिला जेल	168 से.मी.	155 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	–
4	जिला आबकारी अधिकारी	163 से.मी.	163 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.	–
5	आबकारी उप निरीक्षक	165 से.मी.	152.4 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.	–
6	सहायक जेल अधीक्षक	1.65 मी.	1.58 मी.	0.80 मी.	–	–

(9) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं **केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। **अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।**

टीपः– समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे <u>सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र</u> बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।

(11) <u>अन्य निर्देश/जानकारी</u>

(i) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/निःशक्तजन/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक आदि होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। **<u>समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</u>** जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी।

(ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।

(iii) **प्रारंभिक परीक्षा की अंक सूचियां जारी नहीं की जाती हैं।**

(iv) परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न–पत्र को क्षति पहुंचाना, निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देश की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, धमकी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

(v) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(vi) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाए, यद्यपि आयोग पता परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

(vii) अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, प्रवर्ग, परीक्षा का नाम, आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।

(viii) परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।

(ix) <u>पहचान चिन्ह</u> :–

उत्तर–पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर–पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर–पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। **<u>लिखने के लिए केवल काली स्याही का प्रयोग करें।</u>** उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर वह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

(12) **<u>तृतीय श्रेणी के पदों के लिए विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा (बोली) अथवा स्थानीय बोलियों का पर्याप्त ज्ञान को महत्व देते हुये साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।</u>**

(13) **अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in में उपलब्ध करायी जायेगी।** अनुचित साधन प्रयोग, कम/अधिक आयु, गलत जानकारी इत्यादि देने वाले प्रकरणों के कारण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी। उनके प्राप्तांकों की जानकारी वेब–साईट में दर्शित नहीं की जाएगी।

(14) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा "रोजगार और नियोजन" अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब–साईट में यथा समय दी जावेगी।

(15) **<u>अत्यन्त महत्वपूर्ण</u>** :–

क्रमशः

(i) निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) दृष्टिहीन तथा अन्य निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अशासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्रों के लिये 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा, इस प्रकार 03 घंटे की परीक्षा के लिए एक घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय से कम से कम 15 दिन पूर्व संपर्क करें। इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। **परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जावेगी।**

(iii) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार हैः–

> **अभिवचन (Undertaking) का प्रारुप**
>
> **मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2018 के** विज्ञापन क्रमांक 07/2018/ परीक्षा दिनांक 01/10/2018 **के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।**
>
> हस्ताक्षर ....
>
> नाम ....
>
> **(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण–पत्र केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले अनुप्रमाणन पत्र के साथ संलग्न करें)**

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो नियमित शासकीय सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक को देय छूट का लाभ देय नहीं होगा। यदि ऐसे उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को लागू अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान लागू होंगे।

(16) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग को कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(17) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार पंद्रह गुने तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(18) विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

(19) साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

(20) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रूपये **300/–** (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये **400/–** (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(21) अनर्हताः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

सही/–

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर

राज्य सेवा परीक्षा नियम

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 27.08.2008, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 23.12.2011, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 24.12.2012, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 02.03.2013, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक (पार्ट–2), दिनांक 27.07.2013, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 17.12.2013 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी:–

सेवा/पद की श्रेणी

1.	राज्य सिविल सेवा (उप–जिलाध्यक्ष)	द्वितीय
2.	राज्य पुलिस (उप–अधीक्षक, पुलिस)	द्वितीय
3.	राज्य लेखा सेवा	द्वितीय
4.	वाणिज्यक कर अधिकारी	द्वितीय
5.	जिला आबकारी अधिकारी,	द्वितीय
6.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें,	द्वितीय
7.	जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण	द्वितीय
8.	श्रम अधिकारी	द्वितीय
9.	जिला पंजीयक	द्वितीय
10.	रोजगार अधिकारी	द्वितीय
11.	क्षेत्र संयोजक	द्वितीय
12.	खंड विकास अधिकारी	द्वितीय
13.	सहायक संचालक, खाद्य/खाद्य अधिकारी	द्वितीय
14.	परियोजना अधिकारी, सामाजिक/ग्रामीण गहनसाक्षरता परियोजना	द्वितीय
15.	अधीनस्थ सिविल सेवा (नायब तहसीलदार)	तृतीय
16.	सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख	तृतीय
17.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	तृतीय
18.	आबकारी उप–निरीक्षक	तृतीय
19.	परिवहन उप–निरीक्षक	तृतीय
20.	सहकारिता निरीक्षक	तृतीय
21.	सहायक श्रम अधिकारी	तृतीय
22.	सहायक जेलर	तृतीय
23.	उप–पंजीयक	तृतीय
24.	सहायक संचालक जनसंपर्क	द्वितीय
25.	प्राचार्य पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान	द्वितीय
26.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	द्वितीय
27.	मुख्य अनुदेशक (आंगनबाड़ी/ग्राम सेविका, प्रशिक्षण केन्द्र)	द्वितीय
28.	सहायक संचालक (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय
29.	अधीक्षक (संस्थाएं)	द्वितीय
30.	परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	द्वितीय
31.	सहायक परियोजना अधिकारी (विशेष पोषण आहार कार्यक्रम)	द्वितीय
32.	क्षेत्रीय संगठक (एम.डी.एम.)	द्वितीय
33.	जिला सेनानी नगर सेना	द्वितीय
34.	सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा	द्वितीय
35.[5]	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	द्वितीय
36.	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय
37.[2]	अधीक्षक, जिला जेल	द्वितीय
38.[3]	सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	द्वितीय
39.[3]	सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग	द्वितीय
40.[5]	सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय

2. यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगी:–

• राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिसके माध्यम से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

• राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जायेगा।

परीक्षा की योजना तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक, परिशिष्ट–दो एवं परिशिष्ट–तीन के अधीन दिए अनुसार होंगे। **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना (परिशिष्ट–एक) एवं पाठ्यक्रम (परिशिष्ट–तीन) बाद में प्रकाशित की जायेगी।**

(एक) समस्त उम्मीदवारों को भले ही उन्होने किसी सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा की योजना (परिशिष्ट एक) में उल्लेखित अनुसार उतनी ही संख्या में प्रश्न पत्र देने होंगे। [2]

3. (एक) प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंको के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन उम्मीदवारों में से अधिक से अधिक विभिन्न प्रवर्गो के अधीन कुल पद संख्या के पन्द्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले **अनारक्षित वर्ग**, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची–पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी और उम्मीदवारों के अंतिम चयन के संबंध में इस परीक्षा में प्राप्त अंको पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) मुख्य परीक्षा में बैठने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में रखे जायेंगे। इन उम्मीदवारों में से, विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार **अनारक्षित वर्ग**, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह पाए गए हो, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(तीन) (अ) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जायेंगे।

किसी सेवा विशेष के लिए किसी उम्मीदवार की सिफारिश करते समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो, सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

(1) यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों।

(2) यदि उम्मीदवार अपने अधिमान वाले किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हों उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये।

क्रमशः

(3) उपर्युक्त सिद्धान्त अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होंगे।

(आ)[1] अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार उसके कुल अंकों के आधार पर **अनारक्षित सूची** में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे **अनारक्षित सूची** में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अध्यधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

(चार) आयोग के प्रत्येक पद के लिए प्रमुख सूची में दी गई उम्मीदवारों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक के उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा।

4. आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जाँच पड़ताल करेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। शासन उम्मीदवारों की नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. पात्रता संबंधी शर्ते—(क) राष्ट्रीयता— उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:— उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—1956 की धारा—3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए।

टीप (एक) उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा मे बैठे हो जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त उम्मीदवारों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की **अनिवार्यता होगी।**

टीप (दो) ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग) आयु (अ) अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रुप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। [3]

(2) परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(आ) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी:—

(एक) अधिकतम पांच वर्ष तक: यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो।

(दो) अधिकतम तीन वर्ष तक: यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों:—

(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रवजन किया हो:

या

(2) श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रवजन किया हो या

(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन किया हो।

(तीन) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार ऊपर (दो) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा छ.ग. में अधिवासित हो,

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा हो,

(पाँच) अधिकतम 2 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो, [4] **(छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6—2/2014/1/3, दिनांक 10/10/2014 द्वारा विलोपित।)**

(छ:) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक सी. 10—85—3—1, दिनांक 03.09.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रवर्तित अन्तर्जातीय विवाह योजना अधीन पुरस्कार प्राप्त युगल में उच्च जाति का हो।

(सात) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग, (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक—एफ—19—2/2005/1—3 रायपुर दिनांक 01.12.2006 के अनुसार राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हो अथवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो

(आठ) अधिकतम 3 वर्ष तक : सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में, जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशान्त क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हो और उसके परिणास्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(नौ) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (आठ) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(दस) अधिकतम 3 वर्ष तक: ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार जो वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाणपत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो।

(ग्यारह) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (दस) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(बारह) अधिकतम 5 वर्ष तक: ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफीसर्स, जिनमें ई.सी.ओ./एस.एस., सी.ओ. शामिल हैं, के मामले में जिन्होने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवावधि उक्त तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली है:—

(तेरह) अधिकतम 10 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (बारह) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(चौदह) अधिकतम 10 वर्ष तक: महिलाओं के लिए—यहाँ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07.02.1997 में प्रकाशित नियम छ0ग0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगा। [6]

(पन्द्रह) [1] छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

क्रमशः

टीपः– पद अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–2998–सी.आर. 444–एक (3)/63, दिनांक 30.11.1963 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो यह छूट स्वीकार्य नहीं होगी यदि उम्मीदवार परीक्षा के या तो पहले या बाद में त्याग पत्र दे दे तथा तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी किए गए हो।

(सोलह) अधिकतम 3 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में पूर्ण की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

स्पष्टीकरणः– पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी ईकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर अवधि तक रहा हो और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(सत्रह) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार विकलांग हो और उसने तृतीय श्रेणी सेवा/पदों के लिए आवेदन किया हो तथा उनके द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो। [7]

(अठारह) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 2 जून, 2004 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा कर्मियों की शासकीय सेवाओं के लिये निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी।

टीपः– उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सेवा में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा आदि के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

6. **नियम 5 (ग)** में दी गई स्थिति को छोड़ विहित आयु सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

7. **(क)** कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए, जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणामस्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी पुरूष उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ख) कोई महिला उम्मीदवार जिसका विवाह इस कारण से अमान्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी महिला उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो। कोई उम्मीदवार, जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जाएगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

9. आयोग उम्मीदवारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या विहित आवश्यकता (शर्तें) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए सार्थक होगा तथापि उम्मीदवारों का ध्यान नीचे दी गई कतिपय सेवाओं के लिए दिए गए शारीरिक मानकों की ओर आकर्षित किया जाता है। आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवारों को इस बात से स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तों) को पूरा करते है।

ऊँचाई और सीने के घेरे का न्यूनतम मानक

स. क्र.	पद का नाम	ऊंचाई	सीना		वृद्धि
		पुरुष	बिना फुलाए	फुलाने के बाद	
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला आबकारी अधिकारी	5'–4"	31"	33"	–
3	परिवहन उप निरीक्षक	165 से.मी.	81.50 से.मी.	–	–
4	आबकारी उप निरीक्षक	165 से.मी.	81 से.मी.	85 से.मी.	–
5	सहायक जेलर	1.65 मीटर	0.80 मीटर	–	–

10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम होगा, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि, उम्मीदवार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 14 के निबंधनों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी उम्मीदवारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

यह बात ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों का सत्यापन उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा और तब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक यह अंतिम ही रहेगी।

12. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

13. **(एक)** आयु में किसी छूट या किसी अन्य रियायत के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के हकदार होने के बारे में उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) ऐसे उम्मीदवार को जो छत्तीसगढ़ के छटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए दावा करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख

क्रमशः

से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ से उसे छटनी किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि स्थापना में कटौती के कारण उसे सेवामुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य कमी के कारण, जो भी स्थिति हो, छटनी किया गया था या अधिक घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

14. ऐसे उम्मीदवार को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(एक) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो,

(दो) उद्धारूप प्रतिरूपण धारण किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो,

(चार) झूठे दस्तावेज या ऐसे दस्तोवज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(पाँच) ऐसे बयान दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी स्तर पर सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या

(नौ) उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(दस) परीक्षा कक्ष में साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। आपराधिक अभियोजन के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावा:-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जावेगा,

(एक) आयोग द्वारा परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले चयन से

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि:-

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

15. [1] नियत अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन फार्म में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र आबंटित करे। केन्द्र बदलने या आवेदन फार्म की कोई प्रविष्टि बदलने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. [1] उप नियम 17 को विलोपित किया गया है।

18. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंक सूची प्रदान नहीं करेगा क्योंकि, यह केवल एक अनुवीक्षण-परीक्षा (स्क्रीनिंग-परीक्षा) होती है। अतः इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथापि, मुख्य परीक्षा की अंक सूचियाँ उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भेजी जायेंगी।

19. आयोग, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति नहीं कराता है, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो तथा पहले से सेवा में न हो, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2030-छ-आर दो, दिनांक 22.06.1963 के अनुसार यात्रा व्यय केवल बस या रेल वास्तविक किराया का भुगतान किया जायेगा। देयक फार्म संबंधित परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस सत्यापन के बाद कि उम्मीदवार ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा।

20. किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये, उन्हें छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप-अधीक्षक के रूप नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में जैसा राज्य शासन चाहे कम से कम तीन वर्षो की अवधि के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

21. निरसन तथा अपवादः- इन नियमों से तत्संबंधी सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद् द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैः-

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जेवियर तिग्गा, उप सचिव

---

1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 23/12/2011 द्वारा संशोधित।

2 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 02/03/2013 द्वारा संशोधित।

3 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 17/12/2013 द्वारा संशोधित।

4 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-2/2014/1/3, दिनांक 10/10/2014 द्वारा विलोपित।

5 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/एक(1), दिनांक 20/11/2015 द्वारा संशोधित।

6 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3, दिनांक 11/01/2017 द्वारा संशोधित।

7 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 27/09/2014 द्वारा संशोधित।

STATE SERVICES EXAMINATION RULES

As per Order Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 27.08.2008, Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 23.12.2011, Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 24.12.2012, Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 02.03.2013, Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One (Part-2), Dated 27.07.2013, Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 17.12.2013 - Combined Competitive Examination called State Services Examination for recruitment to the following services/posts may be held annually, if required by the Chhattisgarh Public Service Commission:

Class of Service/Post

1.	State Civil Service (Deputy Collector)	II
2.	State Police Service (Dy. Superintendent of Police)	II
3.	State Accounts Service	II
4.	Commercial Tax Officer	II
5.	District Excise Officer	II
6.	Assistant Registrar Cooperative Societies	II
7.	District Organiser,Tribal Welfare	II
8.	Labour Officer	II
9.	District Registrar	II
10.	Employment Officer	II
11.	Area Organiser	II
12.	Block Development Officer	II
13.	Assistant Director Food/Food Officer	II
14.	Project Officer, Social /Rural Intensive Literacy Project	II
15.	Subordinate Civil Service (Naib Tahsildar)	III
16.	Assistant Superintendent Land Records	III
17.	Commercial Tax Inspector	III
18.	Excise Sub-Inspector	III
19.	Transport Sub-Inspector	III
20.	Co-operative Inspector	III
21.	Assistant Labour Officer	III
22.	Assistant Jailor	III
23.	Sub-Registrar	III
24.	Assistant Director Public Relation	II
25.	Principal, Panchayat Secretary of the Training Institute	II
26.	District Women Child Development Officer	II
27.	Chief Instructor (Anganwadi/Gram Sevikas Training Centre)	II
28.	Assistant Director (Women and Child Development)	II
29.	Superintendent (Institutions)	II
30.	Project Officer (Integrated Child Development Project)	II
31.	Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)	II
32.	Area Organizer (M.D.M.)	II
33.	District Commandant Home Guard	II
34.	Assistant Director Local Fund Audit	II
35. [5]	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	II
36.	Chhattisgarh Subordinate Account Service Officer	III
37. [2]	Superintendent District Jail	II
38. [3]	Assistant Director, Urban Administration and Development Department	II
39. [3]	Assistant Director, Social Welfare Department	II
40. [5]	Assistant Project officer, Panchayat & Rural Development Department	II

2. The combined competitive examination comprises following successive stages:

- The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination.
- State Services Main Examination (written Examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and post.

The Scheme of examination and syllabi of different subjects would be as given under Appendix I, II and III respectively. **The examination plan (Annexure-I) and the course (Annexure-III) for the <u>Main Examination</u> will be published later.**

(i) All candidates, irrespective of their preference for a particular service/post, will have to appear in the same number of papers as mentioned in the scheme of examination (Appendix 1). [2]

3. **(i)** The candidates obtaining minimum marks in the preliminary examinations as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be arranged in the order of marks obtained by them, Out of these candidates only about as many as equal to fifteen times at the most the total number of posts under various categories, will be deemed to qualify for the Main Examination and the results of the preliminary examination shall be announced accordingly. The list of candidates belonging to **Unreserved Category**, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC qualifying for main examination shall be separately prepared and their results announced accordingly. Preliminary Examination will only serve as a screening test for selecting candidates for the Main Examination and marks obtained in this examination will not be considered at the time of final selection of candidates.

(ii) The candidates who appear in the Main Examination and obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission in their discretion, will be arranged in the order of total marks obtained by them in the Main Examination. Out of these candidates only about as many as equal three times the total number of posts under various services will be deemed to qualify for being called for interview. Similarly a separate list of candidates belonging to **Unreserved Category**, scheduled castes, scheduled tribes and OBC who qualify for being called for interview shall be prepared.

(iii) (a) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate of marks awarded to them in the Main Examination and the interview.

While recommending a candidate for a particular service, due consideration will be given to the preference, if any expressed by him/her in the application, subject to the following conditions :-

(1) If a candidate has not expressed any preference in the application, he will be considered for all posts in the order in which these have been enumerated in the advertisement.

(2) In case a candidate does not succeed in getting any of the posts of his preference, he will be considered on the basis of his aggregate of marks for other post (s) in the order in which these have been enumerated in the advertisement. However, he shall not be considered for any post (s)

क्रमशः

for which he has expressly indicated that he would not like to be considered for it.

(3) The above principles will also apply while preparing supplementary list.

(b) [1] Merit list for each post in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to scheduled castes or scheduled tribes or OBC by virtue of his aggregate of marks, finds place in the **unreserved** list, he shall be shown in the **unreserved** list and will not be counted against a reserved vacancy.

(iv) The Commission shall also prepare a supplementary list for each post to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list.

4. After receipt of the **recommendation** of the Commission, the Government shall make such enquiries about the candidate as it may deem fit in order to ensure that they are suitable in all respects for appointment to the posts concerned. The Government reserve the right to offer appointment to the candidates.

5. Eligibility conditions - (a) Nationality- The candidate must be a citizen of India.

(b) Minimum educational qualification - A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act. 1956 or possess an equivalent qualification.

Note -I- Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. It will be compulsory for all candidates who are declared qualified by the Commission for taking the State Services (Main) Examination to produce proof of passing the requisite examination with their application for the Main -Examination.

Note -II- Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognized by the State Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

(c) Age - (a) A candidate must have attained a minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 30 years as on 1st January of the year of issuance of the advertisement. Provided that for candidates domicile/permanent residents of State of Chhattisgarh, the maximum age shall be extended to 35 years. [3]

Provided that the State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services included in these Rules looking to the exigencies of the services.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :-

(i) up to a maximum of five years : if a candidate domiciled in Chhattisgarh belongs to a caste or tribe notified a scheduled caste or scheduled tribe or OBC by the Government of Chhattisgarh :-

(ii) up to a maximum of 3 years : If a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from :-

(1) Burma, who migrated to India on or after 1st June, 1963; or

(2) Srilanka, who migrated to India afer 1st November, 1964; or

(3) if the Candidate is a bonafide displaced person from East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of 8 years : (If the candidate repatriate or displaced person mentioned in (ii) supra belongs to scheduled caste, scheduled tribe or OBC as notified by Government of Chhattisgarh and domiciled in Chhattisgarh

(iv) up to a maximum of 5 years : if the candidate is a widow on her first appointment ;

(v) up to a maximum of 2 years : if the candidate holds a Green Card in his/her name under the Family Welfare Programme; [4] **(Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No 6-2/2014/1/3 Dated 10/10/2014.)**

(vi) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a forward partner of a prize winning couple under Intercaste Marriage Scheme sponsored by the Tribal, Harijan and Backward Class Welfare Department as per GAD Memo No. C-1085-3-1, dated 3-9-1985;

(vii) Up to a maximum of 5 years: if the candidate is sports person honoured with the Shaheed Rajeev pandey Award or Gundadhur Samman or Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Samman or Rashtriya Yuva awarded as per GAD memo No- F19-2/2005/1-3 Raipur dated 01-12-2006.

(viii) up to a maximum of 3 years : in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof ;

(ix) up to a maximum of 8 years " if the candidate filling under category (viii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC ;

(x) up to a maxmmum of 3 years : in the case of a candidate who is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietman and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) up to a maximum of 8 years : if the candidate falling under category (x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or OBC :

(xii) up to a maximum of 5 years : in the case of Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered atleast five year Military Service as on 1st January Preceding date of Commencement of Examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months form the said date) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xiii) up to a maximum of 10 years : in case the candidate falling under category (xii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(xiv) up to maximum 10 years : for women candidate: As per Rajpatra (Asadharan) date 7.2.1997, Published rule C.G. civil service (Special provision of appointment for women) Rule 1997, 10 years age relaxation will be given to women candidate. [6]

(xv) [1] In case of the permanent/ Temporary employees of either of CG State Govt. or any undertaking of CG Govt. will be entitled the age relaxation up to 38 years.

क्रमशः

N.B. - The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid staff of the Chhattisgarh Government as per GAD memorandum No. 2998-Cr-444-1 (iii) -63, dated the 30th November 1963 . This concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.

(xvi) up to a maximum of 3 years : if the candidate is a retrenched Government servant, after deducting from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to maximum of seven years even if it represents more than one spell;

Explanation - The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the State of Chhattisgarh or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(xvii) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a handicapped and applying to the service/posts class III and must have submitted his disability certificate of not less than 40% issued by the competent authority. [7]

(xviii) In accordance to general administration department's circular no. F 1-2/2002/1/3 dated 02/06/2004. Shiksha karmies of chhattisgarh state will be granted relaxation in maximum age limit for equal number of years for which they have worked as shiksha karmi. For calculation purpose the period of more than 6 months will be treated as one year. The benefit of this relaxation can be availed only up to 45 years.

Note:- In addition to the above mentioned provisions, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit etc. shall be applicable at the time to recruitment to the State Civil Service.

6. Save as provided in Rule 5 (c), the age limits prescribed can in no case be relaxed. The candidates should note that the Commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or certificate of a examination treated equivalent thereto. No other document relating to age like horoscopoe, affidavit , birth extracts from Municipal Corporation service records and the like will be accepted. Once a date of birth has been recorded in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstance.

7. **(a)** No male candidate who has more than one wife living or who having a wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such wife shall be eligible for appointment to any of the services appointment to which is made on the result of this examination unless the State Government after being satisfied that there are grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of the Rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the services on the result of this examination, unless the State Government after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any female candidate from the operation of this Rule.

8. A candidate must be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the particular service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, found not to safisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates who are likely to be considered for appointment will be medically examined.

9. The Commission cannot advise candidates as to their eligibility for any particular service. It is for the candidates themselves to see whether they satisfy the prescribed requirement and whether it is worth their while to apply. However , the attention of the candidates are drawn to the physical standards laid down for certain services as given below . Before applying, the candidates should satisfy themselves that they fulfil the minimum requirements prescribed for such services.

MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

S. No.	Name of Post	Height	Chest		Expansion
		Man	With out Exp.	With Exp.	
1	Dy. Superitendent of Police	168 c.m	84 c.m.	89 c.m.	5 c.m.
2	District Excise Officer	5'4"	31"	33"	-
3	Transport Sub-Inspector	165 c.m.	81.50 c.m.	-	-
4	Excise Sub-Inspector	165 c.m.	81 c.m.	85 c.m.	-
5	Assistant Jailor	1.65 m.	0.80 m.	-	-

10. The success in the examination confers no right to appointment unless the Government are satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. No representation or correspondence shall be entertained on this point. The admission to the preliminary examination shall be provisional. If on verification at any later date it is found that a candidate does not fulfil all the eligibility conditions his candidature shall be cancelled. If any of his claims is found to be incorrect. he may render himself liable for disciplinary action by the Commission in terms of Rule 14 given below.

The mere fact that a certificate of admission to the examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his application for the preliminary examination have been accepted by the Commission as true and correct.

It may be noted that verification of eligibility condition of a candidate with reference to original documents would be taken up after the candidate has qualified for the Main Examination and unless the candidature is finally confirmed by the Commission, it would continue to be provisional.

12. No candidate shall be admitted either to preliminary examination or main examination unless he /she holds a certificate of admission issued by the Commission.

क्रमशः

13. (i) The candidates claiming any relaxation in age or any other concession must attach with their application forms appropriate certificate in original issued by the competent authority . In absence of such certificates they will not be entitled to be considered for any relaxation concession.

(ii) A candidate claiming age concession as retrenched Government servant of Chhattisgarh should produce in original a certificate from the Head of the Department or Office from where the candidate was retrenched stating the designation of each post held by him, the date of appointment and leaving in respect of each post and also certifying that he was discharged because of reduction in establishment. He should also produce an attested copy of the certificate of his registration at the Employment Exchange if any.

(iii) A candidate claiming age concession as an ex-serviceman should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect of his defence service, and that he was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employmnet Exchange, if any.

14. A candidate who is or has been found by the Commission to be guilty of:-

(i) obtaining support for his candidature whether in the written examinations or interviews by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information at any stage of selection. ; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination;or

(vii) using or attempting to use unfair means in the examination hall; or

(viii) harassing , threatening or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of examination; or

(ix) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their admission certificate or other instructions including oral instruction given by the centre supervisor or other staff engaged for conduct of examination; or.

(x) misbehaving in any other manner in the examination hall or in the interview, any in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and / or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission from any examination or selection held by them.

(ii) by the State Government from employment under; and

(c) if he is already in service under Government , to a disciplinary action under appropriate rules :

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after -

(i) giving the candidate an apportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

15. [1] The online applications received after due date and time will not be entertained.

16. The Commission reserve the right to allocate centre for examination to the candidate keeping in view the preference recorded in the appliation form. No application for change of centre or any other entries in the application form shall be entertained.

17. [1] Eliminate the sub rule 17.

18. The Commission shall not supply mark sheets in respect of preliminary examination as it is only a screening test. As such no correspondence will be entertained in this connection . However, the mark sheets of the Main Examination will be sent to the candidates after publication of final results.

19. The Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates called for written test of viva-voce. Candidates belonging to a caste or tribe or OBC notified for Chhattisgarh as a scheduled caste or scheduled tribe or OBC and domiciled in Chhattisgarh, who are not already in service will, however, be paid travelling allowance as per Finance Department memo No. 2030-VI -R-II, dated the 22nd June 1963. The bill forms will be available at the respective centres of examination and viva-voce. Payment will be made after verification that the candidate had actually taken the test.

20. The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. they will be required to serve at any place in Chhattisgarh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.

21. Repeal and Saveing - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

XAVIER TIGGA, Deputy Secretary

---

1 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 23/12/2011.**

2 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 02/03/2013.**

3 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 17/12/2013.**

4 **Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No 6-2/2014/1/3 Dated 10/10/2014.**

5 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 20/11/2015.**

6 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. 3-1/2016/1-3, Dated 11/01/2017.**

7 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 20-4/2014/Aa.Pr./1-3, Dated 27/09/2014.**

परिशिष्ट–एक

परीक्षा योजना
राज्य सेवा परीक्षा

1. प्रारंभिक परीक्षा – (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय होंगे (Multipile Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 5 विकल्प (Five Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे।

- **प्रथम प्रश्न–पत्र**–सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे। [1]

- **द्वितीय प्रश्न–पत्र**–योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे। [1]

न्यूनतम अर्हता अंक – प्रत्येक प्रश्न–पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। **द्वितीय प्रश्न पत्र–योग्यता परीक्षा, अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जायेगा। प्रथम पत्र–सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।** [2]

2. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार – मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित की जायेगी।

1 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014, संशोधन दिनांक 08/03/2017 के बिन्दु क्रमांक–5 के अनुसार संशोधित।

2 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/एक (1), दिनांक 21/11/2017 द्वारा संशोधित।

Annexure-I

Examination Scheme
State Service Examination

1. **Preliminary Examination - (Objective Type)**

In the Preliminary Examinations there will be 2 compulsory papers of 02 hours duration each. Both the question papers will have objective type multiple choice questions. There will be five choices of answers for each question out of which one is to be selected.There will be negative marking for wrong answer.

- **First Question Paper-** General Studies (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours). for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted. [1]

- **Second Question Paper-** Aptitude Test (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours) for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted. [1]

Minimum Qualifying Marks- In each Question paper essential qualifying marks for unreserved category will be 33%,and 23% for reserved categories and handicapped candidates. **Second Question Paper - Eligibility Examination shall be of qualifying nature. Marks obtained in this question paper shall not be added while preparing merit list for short listing of candidates for Main Examination. Candidates shall be selected for Main Examination on the basis of merit list of First Question Paper - General Studies.** [2]

2. **Mains Examination and Interview - The examination plan for the main examination and interview will be published later.**

1 **Amended, as per amendment dated 08/03/2017 of Chhattisgarh Public Service Commission Rules of Procedure-2014.**

2 **Amendment, As per Government of Chhattisgarh, GAD Notification No. F 6-3/2008/1/One (1), Dated 21/11/2017.**

परिशिष्ट–दो

:: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ::

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्नपत्रवार निम्नानुसार होगा–
(प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे, किसी भी शब्द/वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिन्दी भाषा में लिखे शब्द/वाक्य को आधार माना जायेगा)

प्रश्नपत्र 1 सामान्य अध्ययन
(प्रश्न 100, अंक 200) अवधिः 2:00 घंटा

• भाग 1 तथा भाग 2 से 50–50 प्रश्न दिये जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

भाग 1 – सामान्य अध्ययन :–

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था।
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल।
8. पर्यावरण।

भाग 2 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान :–

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

प्रश्नपत्र 2
योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200) अवधिः 2:00 घंटा

• प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

1. संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल।
2. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता।
3. निर्णय – निर्माण और समस्या निवारण।
4. सामान्य मानसिक योग्यता।
5. मूल संख्यात्मक कार्य (सामान्य गणितीय कौशल) (स्तर–कक्षा दसवीं), आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) (स्तर–कक्षा दसवीं)।
6. हिन्दी भाषा ज्ञान (स्तर–कक्षा दसवीं)।
7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान।

हिन्दी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।

ANNEXURE-II

"State Service Preliminary Examination"

The question paper will be in Hindi and English both. In case of any doubt the Hindi version will prevail.
The paper wise syllabi of the **Preliminary Examination** is as following-

Question Paper 1 General Studies
(Questions 100, Marks 200), Time : 2 hours

• (There shall be 50 Questions from Part-'1' & Part-'2' each. Each Question will cary 2 marks) 02 Marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

PART- '1'- General Studies: -

1. History of India and Indian National Movement.
2. Physical, Social & Economic Geography of India.
3. Constitution of India & Polity.
4. Indian Economy.
5. General Science & Techonlogy.
6. Indian Philosphy, Art, Litereture & Culture.
7. Current Affairs & Sports.
8. Environment.

PART-'2'- GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Litrature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Question Paper 2
Aptitude Test (Questions 100, Marks 200), Time :2 hours.

02 marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

1. Interpersonal skills including communication skills;
2. Logical reasoning and analytical ability
3. Decision making and problem solving
4. General mental ability
5. Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. -Class X level)
6. Knowledge of Hindi Language (Class X level).
7. Knowledge of Chhattisgarhi Language.

Knowledge of Hindi Language and Chhattisgarhi Language will be tested in Hindi and Chhattisgarhi Language only, without providing translation.

परिशिष्ट-चार,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाईल व ई–मेल आई. डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:–** ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाईल व ई–मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ–साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाईल व ई–मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।** आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई**

क्रमशः

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) **आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।**

(ii) **जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।**

(iii) **किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।**

(iv) **कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

(v) **ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।**

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

* * * * *